है। जैसे हमारी सुयोग्य मंत्री जी ने बताया है मुख्य मंत्रियों को इस सम्बन्ध में लिखा गया है और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दुबारा सर्वे करने की आवश्यकता हो तो वह भी किया जाना चाहिये। मैं केवल एक पैरा इस पत्र से पढ़ देना चाहता हूँ।

"We all agree on the basic national commitment of total abolition of this system. It is envisaged that the so-called masters of bonded labour will not voluntarily disclose existence of such labour or free them. To meet such a situation, certain specific paras have been included in the Bonded Labour System Act, 1976, to enable the Administration to enforce its policy. Recourse to punishment under these provisions should not cause us, any hesitation. I would, therefore, request you kindly to have another thorough and determined probe made into this entire aspect, take urgent steps to rehabilitate the bonded labour wherever identified and, if necessary, impose punishment on the defaulters under the law".

SHRI JAGDISH TYTLER : Sir, we still have bonded labour in our country. There are divergent estimates about the extent of the bonded labour in our country, different agencies have given different figures like the State Government which estimates it at 1.81 lakhs. The Gandhi Peace Foundation estimate is 26.27 lakhs and that of the National Sample Survey is 3.45 lakhs and so on. Now as part of the 25—Point Programme, a Scheme to identify, release and rehabilitate bonded labour has been launched in 1975. What action has been taken by the Government to speed up the implementation of this Programme ?

Some of the State Governments do not appear to be pursuing this Programme. Not only the rehabilitation schemes under this Programme are half-hearted but the process of implementation is also incomplete. Is this problem of bonded labour due basically to poverty and its exploitation by certain anti-social elements for quick gains and, if so, what Government proposes to do to eliminate bonded labour ?

SHRIMATI RAM DULARI SINHA : I have already stated that it is a continuing process and Hon. Members should know that the identified bonded labour by the State Governments is 1,26,219 and not as he has mentioned and out of that 1,07,012 are rehabilitated. Only 11,207 are yet to be rehabilitated. The process is going on for their rehabilitation.

Prohibition to CSD (I) Run Canteens for Local Purchase

*348. SHRI R. L. P. VERMA : SHRI RAJNATH SONKAR SHASTRI : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that CSD (I) Bombay forbids its unit run canteens to make local purchases of reputable and better quality items, like safety matches;

(b) if so, whether Government propose advising the authorities in the matter to reshape the policies and leave it to the local authorities whether to resort to local purchases or not without compromising quality;

(c) whether civilians working in the Defence Headquarters are not permitted to avail of canteen facilities though being the part of the defence organisation; and

(d) if so, are they proposed to be permitted so as to help them to tide over the crisis of soaring prices ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): (a) Unit-run Canteens are required to obtain

all items which appear in the Canteen Stores Department supply list from the Canteens Stores Department only. However, in exceptional circumstances, permission to make local purchase is also granted.

(b) The existing policy of procurement by the Canteens Stores Department and supply to Unit-run Canteens is considered sound. No change in the current policy is, therefore, considered necessary.

(c) and (d) Civilians working in Defence Headquarters are entitled to Canteen facilities in respect of all items appearing in the Canteen Stores Department list except liquor, imported goods and restricted items like ammunition.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, बहुत पहले इस हाउस में चर्चा की गई है कि सवाल कुछ होता है और जवाब कुछ होता है। आप जरा सवाल को देखें मैंने पूछा है :

"क्या यह सच है कि सी० एम० डी० (आई) बम्बई ने अपने कैंटीनों में प्रसिद्ध और बेहतर किस्म की मदों की जैसे दियासलाई की स्थानीय खरीद पर रोक लगा दी है।"

इसका जवाब दिया गया है :

"यूनिटों द्वारा चलाई जा रही कैंटीनों को कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट सप्लाई सूची में वर्णित सभी मदों को केवल कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट से मंगाना होता है,..... ।"

मैं दियासलाई के बारे में पूछ रहा हूं और मन्त्री जी ने उत्तर दिया है जनरल। तो मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि प्रायः इन यूनिटों पर जो सप्लाई के स्टोर्स हैं इन पर बड़े-बड़े उद्योगों में बनी सामग्री दी जाती है, जब कि सरकार की नीति है कि कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाय। देश में एक हजार ऐसे कुटीर उद्योग हैं जिनको अरबों रु० की सहायता देते हैं। तो जिन क्षेत्रों में रक्षा कैंटीन हैं उनमें कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित सामग्री हो क्यों नहीं बेची जाती है? क्या ऐसा कुछ आपका निर्देश हो रहा है कि कुटीर उद्योगों की ही सामग्री वहां पर बेची जायगी ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य का सवाल था उसका उत्तर यहां पर जो लिखित उत्तर दिया गया है उसमें समाविष्ट है। माचिस के बारे में भी उसका अन्तर्वेश होता है। दूसरा सवाल जो पूछा है कि क्या हम कुटीर उद्योगों को सामग्री खरीदने जा रहे हैं कि नहीं, तो सदन की जानकारी के लिये कहना चाहूंगा कुटीर उद्योग से भी बहुत सारी सामग्री ली जाती है, कम से कम 18 प्रतिशत सामग्री कुटीर उद्योगों से ली जा रही है। मगर सवाल ऐसा है कि हम सामान खरीदते हैं और जो हमारे सैनिक भाई हैं उनको बेचते हैं। जिस वस्तु की उनकी मांग होती है और जो वस्तु वह लेना चाहते हैं अगर वैसी वस्तु हमारी कैंटीनों में न मिले तो फिर कैंटीन चलाने का उद्देश्य उतने पैमाने पर सफल नहीं होता है। इसलिए जिन चीजों की मांग होती है उसको ध्यान में रख कर हम करते हैं। माचिस के बारे में भी ऐसा है कि एक प्रकार की वह मांगते हैं और उसी प्रकार की देने की कोशिश होती है। दूसरी चीजें जो कुटीर उद्योग से लेने की हैं अगर उनकी पसंद आती है तो हम लेते हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष जी, प्रायः रक्षा कैंटीनों में रक्षा सैनिकों को ही सामग्री की सप्लाई होती है, जब कि देश में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं रक्षा विभाग में ही जो कि अप्रत्यक्ष रूप से

रक्षा कार्य कर रहे हैं। तो जो रक्षा विभाग में अप्रत्यक्ष रूप से काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको आप सप्लाई अपनी कैंटीनों से देते हैं कि नहीं? यदि देते हैं, तो 1980-81 का जरा आप हमको विवरण बता दें कि कितने ऐसे लोगों को किन-किन कैंटीनों से आपने सप्लाई दी है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : आपका जो प्रश्न है इसका उत्तर मैंने (सी) और (डी) में दिया है। लिखित उत्तर में कहा है कि हम जो सिविलियन्स हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री में काम करने वाले हैं उनको भी यहां से साहाय्य देते है। सिर्फ कुछ चीजें ऐसी है जो उनको नहीं दी जाती है, मसलन शराब नहीं दी जाती है, या ऐम्युनिशन्स नहीं दिये जाते हैं, या जो चीजें बाहर से मंगायी जाती है जिनके अन्दर फौरेन एक्सचेंज लगता है वह चीजें नहीं दी जाती है। बाकी सारी वस्तुएं उनको उपलब्ध करायी जाती हैं।

आपका दूसरा सवाल है कितने लोगों को दिया गया। करीब दो, ढाई हजार हमारी कैंटीने हैं, कितने सिविलियन्स को दिया गया इसकी पूरी जानकारी बिना नोटिस के मैं नहीं दे सकता।

श्रीमती संयोगिता राणे : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रक्षा मन्त्री जी से पूछना चाहती हूँ कि, जैसे अभी एक सदस्य ने सिविलियन लोगों को कैंटीन से माल खरीदने के बारे में प्रश्न पूछा है, देश की एमर्जेन्सी में एक्स-सर्विस मैन जो सिविल सर्विस में चले जाते हैं, उन एक्स-सर्विस मैनों को शराब या आयातित माल कैंटीन से खरीदने की अनुमति मिलेगी ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैंने तो कहा है कि जहां तक एक्स-सर्विसमैन का सवाल है, उनको यहां पर बहुत सारा साहाय्य दिया जाता है, मगर एम्यूनीशन जैसा साहाय्य या शराब जैसा साहाय्य या परदेशों से लाया हुआ साहाय्य, मैं समझता हूँ कि हमारे एक्स-सर्विसमैनों को शराब देने के लिये आप नहीं कहेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : जब सर्विस मैन को दे रहे हैं तो एक्स-सर्विसमैन को क्यों नहीं ?

श्रीमती संयोगिता राणे : एक्स सर्विस-मैन को क्यों नहीं दे रहे हैं ? आपको उन्हें भी देना चाहिये।

Chassis for West Bengal

*349. SHRI SATYAGOPAL MISRA : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) the Central Government are aware of the fact that both public and private sectors in transport operation in the State of West Bengal are in urgent need of bus and truck chassis ; and

(b) if so, the steps Government have taken to solve this urgent problem ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P.A. SANGMA) : (a) There is substantial pending demand for truck and bus chassis of the preferred makes of vehicles, namely, TATA and Ashok Leyland chassis, all over the country including West Bengal.

(b) Government have advised the manufacturers to fully meet the requirements of the various State Road Transport Undertakings. In addition, Government have prescribed certain guidelines for priority release of vehicles to certain categories of applicants which include the educated unemployed. Measures,